प्रेस विज्ञप्ति

19.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने 18.11.2025 को असम के गुवाहाटी, कोकराझार, तेजपुर और नई दिल्ली में 6 स्थानों पर ऋषिराज कौंडिन्या, बीजू दास, मुकेश जैन आदि के खिलाफ दीमा हासाओ, मिसिंग आदि की स्वायत्त परिषदों के नाम पर जारी फर्जी खरीद आदेशों के परिप्रेक्ष्य में माल की आपूर्ति के लिए चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने 14.5 लाख रुपये नकद बरामद और जब्त किए, और 13.68 लाख रुपये की राशि वाले बैंक खाता फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए। इसके अलावा, 2 लग्जरी कारें (यानी इनोवा हैराइडर, फॉर्च्यूनर), अपराध की आय (पीओसी) से जुड़ी होने के संदेह में 65 लाख रुपये मूल्य के भूमि बिक्री समझौते का विलेख, प्रमुख आरोपियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कई अन्य संपत्तियों का विवरण, जांच से संबंधित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के साथ बरामद और जब्त किया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि ऋषिराज कौंडिन्य ने अपने सहयोगियों मुकेश जैन, बीजू दास और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत स्वायत्त परिषद ऑफ मिसिंग, दीमा हसाओ आदि द्वारा जारी किए गए जाली आपूर्ति आदेश, जाली हस्ताक्षर, जाली चेक और झूठे भुगतान मंज़ूरी नोट जैसे सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर किया गया। यह कंबल, तिरपाल, रंगे हुए सूती धागे, सौर उपकरण और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उच्च मूल्य के धोखाधड़ी वाले आदेशों के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं को प्रलोभन देने के इरादे से किया गया। आपूर्ति आदेश दिलाने और इसे जारी करने की प्रक्रिया के बदले बड़े अग्रिम कमीशन भुगतान की वसूली के लिए यह धोखाधड़ी की गई। इसके बाद, सामानों का वितरण और अनधिकृत अनलोडिंग की गई और सामानों की आपूर्ति के बदले कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं को इन जाली ऑर्डर के बदले में 9.86 करोड़ रुपये का भारी भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा, संबंधित जाली ऑर्डर से जुड़े 2.04 करोड़ रुपये का पर्याप्त कमीशन भी अवैध रूप से प्राप्त किया गया।

अपराध से प्राप्त आय की पहचान, संपत्तियों की कुर्की और उचित प्रक्रिया के माध्यम से सही मालिकों को वापस करने की आगे की जांच चल रही है।